

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद धुगत। (बिना डाक टिकट) के प्रेमण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसमह । नट/38 सि. से. धिलाई, दिनांक 30-1 2001."



पंजीयन क्रमांक ''शतीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283 ]

रायपुर, नुधवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2011-आश्विन 20, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्रमांक 72.91/डी. 196/21-अ/प्रारू./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांद्र 30-09-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छः गैसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. एन. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

#### छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 23 सन् 2011)

## छ तीसगढ़ होक सेवा गारंटी अधिनियम, 2:011

#### विषय-सूची

#### खुए इ :

- संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लाग् होना.
- 2. परिभाषाएं.
- ) नियत समय में लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार.
- नियत समय में लोक सेवा प्रदाय करने का ायित्व, परिव्यय का अधिरोपण, वसूली एवं भुगतान.
- 5. सक्षम अधिकारी की नियुक्ति.
- लोक संवा प्राप्त करने हेतु असत्य जानकारी प्र स्तुत करने पर दायित्व.
- अपील का अधिकार.
- सेवा की शर्त समझा जाना.
- 9. नियम बनाने की शक्ति.
- 10. कठिनाईयों के दूर करने की शक्ति.



#### छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 23 सन् 2011)

#### छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारियों अथवा अभिकरणों द्वारा नियत समय के भीतर नागरिकों को कतिपय लोक सेवाओं का प्रदाय करने, तथा व्यतिक्रम की दशा में ऐसी सेवाओं के संदाय के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के दायित्वों का निर्धारण करने तथा उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विध न-मण्डल द्वारा निम्निलिखित रूप में यह अधिनियमित

(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

संक्षिप्त नाम, विस्तार. प्रारंभ तथा लागू होना.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य पर होगा.

हो :--

1.

- (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे श ासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.
- (4) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासन के का यौं के संबंध में किन्हीं सिविल सेवाओं अथवा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों, स्थानीय निकायों, लोट म प्राधिकारियों या अधिकरणों जो शासन के स्वामित्व, नियंत्रण में हैं या सारवान रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त हैं, को लागू होगा.

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अ पेक्षित न हो ;--

परिभाषाएं.

- क) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत हैं, शासन, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारी या अभिकरणों द्वारा, यथास्थित, अधिसूचित कोई अधिवारी तथा जिसमें इस अधिनियम के अधिन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के वि रुद्ध अपील सुनने की शक्ति निहित हो;
- (ख) "सक्षम अधिकारी" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन शासन, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारियों या अभिकरण ; रारा, यथास्थिति, इस प्रकार अधिसूचित कोई अधिकारी तथा जो लोक सेवा प्रदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कारित व्यतिक्रम या विलं न के लिए परिव्यय अधिरोपित करने हेतु सशकत किया गया हो;
- (ग) "विभाग" से अभिप्रेत है, शासन का विश्वाग या स्थानीय निकाय, प्राधिकारी या अभिकरण कर कक्ष, प्रभाग, शाखा, कार्यालय या संघटक इकाई, यथास्थिति, जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो;
- (घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;
- (ङ) "स्थानीय निकाय" से अभिप्रेत हैं । एवं उसमें सम्मिलित हैं, कोई प्राधिकारी, नगरपालिका, पंचायत या कोई अन्य निकाय, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर लोक सेवा प्रदाय किये जाने के लिये विधि द्वारा तत्समय निहित किया गया हो, या जो उसके विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में ऐ: जी सेवाओं का नियंत्रण, प्रबंधन या विनियमन करता हो;
- (च) "लोक सेवा" से अभिप्रेत है तथा इन्मिं सिम्मिलित है, धारा 3 के अधीन अधिसूचित नागरिकों से संबंधित लोक सेवायें;
- (छ) "अधिसूचना" तथा "अधिसूचित" से अभिप्रेत है, जहां संदर्भ से इस प्रकार अपेक्षित है, राजपत्र
  में प्रकाशित अधिसूचना;

- (ज) "विहित" से अभिष्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;
- (झ) "लोक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वशासित संस्था जो छत्तीसगढ़ गाज्य के विधान मण्डल द्वा रा बनाई गयी किसी विधि द्वारा स्थापित या गठित या शासन द्वारा जारी अधिसचना या जारी आदेशा द्वारा गठित हो; तथा इसमें सम्मिलित हैं:---
  - (एक) शासन के स्वार्ग मत्व, नियंत्रण या सारवान रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त कोई मिकाय;
  - (दो) शासन द्वारा उ पलब्ध कराई गई निष्धि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और पर, सारवान रूप से वित्तीय सहार ता प्राप्त कोई अशासकीय संगठन; तथा
  - (तीन) कोई संगठन या निगमित निकाय जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन यथा परिभाषित "राज्य" के अभिकरण के रूप में अपनी क्षमता में छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सेवा प्रदाय कर रहा हो;
- (ञ) "नियम" से अभिप्रेत ं है, इस अधिनियम के अधीन शासन द्वारा बनाये गये तथा इस प्रकार अधिस्चित किये गये । नयम;
- (ट) "नियत समय" से आ भप्रेत है, लोक सेवा प्रदाय करने के लिये या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निर्णय के ितये इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिस्चित, अधिकतम समय.
- नियत समय में लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार.
- (1) प्रत्येक व्यक्ति को इस् । अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित निय त समय के भीतर, छत्तीसगढ़ राज्य में, लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार होगा.
- (22) प्रत्येक आवेदक जो नियत समय के भीतर लोक सेवा प्राप्त करने में अरुफल रहता है, अपने आवेदन के संबंध में, धारा 4 की उप–धारा (4) के अधीन यथा उपबंधित परिव्यय, ऐसी रीति से प्राप्त करने का छन्छदार होगा जो विहित की जाए.
- नियत समय में लोक सेवा प्रदाय करने का दायित्व, परिव्यय का अधिरोपण, यसुली एवं भुगतान.
- (1) प्रत्येक विभाग इस आधिनियम के प्रारंभ होने के तिथि से लोक सेवा प्रदान करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को पट गिभिहित करेगा तथा ऐसे पदाभिहित करने के तथ्य को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये विभाग के किसी सहजदुष्ट्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा.
- (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट त्रोक सेवा प्रदाय करने के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, धारा 3 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार सेवायें प्रदाय करेगा.
- (3) लोक सेवा के लिये प्रत्येक अगवेदन पर सेवा प्रदाय करने के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति या विभाग द्वारा, यथास्थिति, आ भरवीकृति प्रदाय की जाएगी तथा प्रत्येक आवेदक ऐसी रीति में अपने आवेदन की स्थिति प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसी कि विहित की जाये.
- (4) लोक सेवा प्रदाय करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति जो निश्चित समय के भीतर ऐसी सेवा प्रदाय करने में असफल रहता है, वह विलंब की कालावधि के दौरान, यदि कोई हो, प्रत्येक दिन के लिये एक सौ रुपये की दर 'में जो अधिकतम एक हजार रुपये तक हो सकेगा, परिव्यय भुगतान करने के लिए अयी होगा. जो ऐसी सेवा प्राप्त करने में असफल रहने पर लोक सेवा के लिए आवेदन करने जाले व्यक्ति की भुगतान करने के लिए उससे वसूली योग्य होगा :

परन्तु, लोक सेवा प्रदाय करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति से परिष्यय तब तक वसूल नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस पर ऐसी गीति में, सूचना की तामील नहीं की गई हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया है। जैसी कि विधित की जाये: ja.

9.

परन्तु यह भी कि, कोई परिव्यय वसूली योग्य नहीं होगा, जहां ऐसी सेवा के लिये किये गये आवेदन में कोई कमी हो तथा ऐसी कमी उप-धारा (3) में निर्दिष्ट अभिस्लीकृति में दर्शित की गई हो :

परन्तु यह और भी कि, ऐसा परिव्यय वसूली योग्य नहीं होगा, जहां सक्षम अधिकारी की राय में ऐसी सेवा प्रदाय करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के नियंत्रण से परै कारणों से लौक सेवा प्रदाय करने में विलंब हुआ हो.

- (5) उप-धारा (4) के अधीन परिव्यय की बसूली तथा आवेदक को भुगतान की रीति ऐसी होगी, जैसी कि विहित की जाय.
- 5. प्रत्येक विभाग, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसे एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सक्षम अधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगा, जो लोक सेवा प्रदाय करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति की श्रेणी से निम्न का न हो.

सक्षम अधिकारी की नियुक्तिः

कोई व्यक्ति लोक सेवा प्राप्त करने के लिए ऐसा आवेदन नहीं देगा जिसमें ऐसा तथ्य का जानकारी अंतर्विष्ट हो, जिसे वह जानता है या विश्वारत करने के कारण है कि वह असत्य है, तथा वह जो ऐसा तथ्य या जानकारी प्रस्तुत करता है तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आपराधिक कार्यवाही के लिए दायी हो सकेगा. लोक सेवा प्राप्त करने हेतु असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर दायित्व.

7. (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनयम के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आ देश से व्यथित हो, प्रश्नाधीन आदेश को प्राप्ति से 30 दिवस की अनिधक अविध के भीतर ऐसी रीति में अपीलीय प्राधिकारों के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा, जैसी कि विहित् की जाय तथा अपीलीय प्राधिकारी अपील संस्थित होने के दिनांक से 45 दिवस की अधिकानम अविध के भीतर अपील निरा कृत करेगा, एवं अपील के निराकरण के दौरान प्राकृतिक न्यारा के सिद्धांतों का पालन करेगा. अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम एवं बाध्यकारी होगा.

अपील का अधिकार.

- (2) प्रत्येक विभाग उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिये अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सक्षम अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न, व्यक्ति को अधिसूचित करेगा.
- (3) लोक सेवा प्रदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के संबंध में, अपीलीय प्राधिकारी द्वार । किए गए, आदेश की एक प्रति, ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए जो उचित समझी जाए, ऐसे उपित पर प्रशासनिक या अनुशासनात्मक नियंत्रण रखने। वाले विभाग को, उस व्यक्ति के कार्य निष्पादन से संबंधित दस्तावेजों में संधारित करने हेत अग्रेषित की जाएगी.
- हस अधिनयम के प्रावधान सेवा शतों, अनुशासनात्मक तथा वित्तीय नियमों और ऐसे अन्य सेवा नियमों त्रिंश विनियमों जो कि लोक सेवा प्रदाय करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति। को प्रवृत्त हों, के अतिरिक्त होंगे न कि अल्पीकारक.

पेवा की शर्त समझा जाना.

राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपनी को कायान्वन करने हेतु
 नियम बना सकेगी.

नियम बना ने की शक्ति.

- (2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शिक्त की व्यापकता पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्निलिखित सभी अथवा इनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंधित कर सकेंगे, अर्थात :—
  - (क) आवेदक द्वारा लोक सेवा प्राप्त करने में असफर न रहने पर अधिनियम की धारा 3 के अधीन परिव्यय प्राप्त करने एवं अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (5) के अधीन उसका भुगतान आवेदक को करने की रांति;
  - (ख) लोक सेवा के लिये प्रस्तुत आवेदन की अभिस्वीकृति दिये जाने तथा उसकी स्थिति की जानकारी आवेदक द्वारा धारा 4 की उप-धारा ('3) के अधीन प्राप्त किये जाने की रोति:

- (ग) सूचना जारी करने की रीति, सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई की प्रक्रिया तथा धारा 4 की उप-धारा (4) के अधीन परिव्यय के दायित्व का निर्धारण एवं उसकी वसूली की रीति:
- (घ) अपील प्रस्तुत करने की नं ति तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा धारा 7 के अधीन ऐसी अपील के निराकरण के। शासित करने की प्रक्रिया;
- (ङ) कोई अन्य विषय जिस का विहित किया जाना अपेक्षित है, या जो विहित किया जाय.
- (3) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनि यम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसे बनाये जाने के उपरान्त, यधासंभव शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा.
- कांत्रनाईयों को दूर करने 10. (1) क्रा प्रक्रित.

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत होने वाले तथा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले आदेश हारा, जो कि राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा, ऐसी कठिनाई दूर कर सकेगी:

परन्तु, ऐसा कोई ३ ग्रदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के उपरांत नहीं. किया जायेगा.

(2) इस धारा के अधीन किया गाया प्रत्येक आदेश, इसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शोध, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

#### रायपुर, दिनांक 12 अक्टूब: 2011

क्रमांक 7291/डी. 196/21-अ/प्रारू./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

## (No. 23 of 2011)

#### THE CHHATTISGARH LOK SEWA GUARANTEE ACT, 2011

#### TABLE OF CONTENTS

#### Sections

- 1. Stort title, extent, commencement and application.
- Definitions.
- 3. Right to obtain Lok Siewa in stipulated time.
- Liability to deliver Lok Sewa in stipulated time, imposition, recovery and payment of cost.
- 5. Appointment of Correpetent Officer,
- 6. Liability for furnishing false information to obtain Lok Sewa.
- 7. Right of Appeal.
- 8. Deemed service conditions.
- 9. Power to make rules.
- Power to remove difficulties.

#### CHHATTISGARH ACT (No. 23 of 2011)

#### THE CHHAT TISGARH LOK SEWA GUARANTEE ACT, 2011

An Act to provide for the delivery of certain public services to citizens by the State Government, local bodies, public authorities or agencies within the stipulated time, and to fix the liabilities of persons responsible for delivery of such services in the event of default and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as Indaws:—

Short title, extent, commencement and application.

- This A. et may be called the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act. 2011.
  - (2) It exte ads to the whole State of Chhattisgarh.
  - (3) It shall come into force on such date as the State Government, may, by notification in the official Gazette, appoint.
  - (4) This Act shall apply to persons appointed to any civil services or posts in connection with the affairs of the Government of Chharlesgarh, local bodies, public authorities or agencies which are owned, controlled or substantially finance d by the Government

Definitions.

- In this Act, unless the context otherwise requires.—
  - (a) "Appel late Authority" means an officer notified by the Government, local body, public authorities or agencies as the case may be, and invested with the power to hear appeals against the orders passed by any Competent Officer under this Act;
  - (b) "Competent Officer" heans an officer so notified by the Government, local body, public authority or agency as the case may be, under section 5 of this Act, and empowered to impose cost for default or delay caused by the person responsible for delivery of Lok Sewa;
  - (c) "Department" means a department of the Government or a section, division, branch, office or constituent unit, or by whatever name called, of a local body, public authority or agency as the case may be;
  - (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
  - (e) "Local body" means and includes any authority, municipality, panchayat or any other body, by whatever name called, for the time being invested by law to render Lok Sewa within the State of Chhattisgarh or to control, manage or regulate such services within a specified local area thereof;
  - "Lok Sewa" means and includes citizen related public services notified under section 3;
  - (g) "Notification" and "Notified", where the context so requires, means and relate to a notification published in the official Gazette;
  - (h) "Prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
  - (i) "Public authority" means any authority or body or institution of self governance established or constituted by any law made by the Legislature of the State of Chhattisgarh or constituted by a notification issued or order made



by the Government; and includes :-

- (one) a body owned, controlled or substantially financed by the Government;
- (two) a non-government organization substantially financed, directly or indirectly, by the funds provided by the Government; and
- (three) an organization or body corporate in its capacity as an instrumentality of 'S'ate' as defined under article 12 of the Constitution and rendering Lok Sewa in the State of Chhattisgarh.
- "Rule" means a rule made by the Government under this Act, and notified as such;
- (k) "Stipulated time" means the maximum time, notified under Section 3 of this Act, to provide Lok Sewa or to decide the appeal by the appellate authority.
- (1) Every person shall have the right to obtain Lok Sewa in the State of Chhattisgarh, within the stipulated time as notified from time to time by the State Government, in accordance with the provisions of this Act.

Right to obtain Lok Sewa in stipulated time.

- (2) Every applicant who fails to obtain Lok Sewa within the stipulated time, shall be entitled to receive cost as provided under sub-section (4) of Section 4, in respect of his application, in the manner as may be prescribed.
- (1) Every department shall designate the person(s) responsible for delivering Lok Sewa from the date of commencement of this Act, and the fact of such designation shall be displayed in some conspicuous part of the department for the information of general public.

Liability to deliver Lok Sewa in stipulated time, imposition, recovery and payment of cost.

- Every person responsible for delivering Lok Sewa referred to in sub-section
   shall deliver such services in accordance with the notification under Section 3.
- (3) Every application for Lok Sewa shall be acknowledged by the person responsible for delivering the service or by the department, as the case may be, and every applicant shall be entitled to obtain the status of his application in the manner as may be prescribed.
- (4) Every person respon sible for delivering Lok Sewa who fails to deliver such services within the stipulated time shall be liable to pay costs at the rate of one hundred rupeers for each day during the period of delay, if any, subject to a maximum cost of one thousand rupees, which shall be recoverable from him towards payment to the person applying for Lok Sewa in respect of failure to obtain such service:

Provi ded that, no costs shall be recovered from the person responsible for delivering Lok Sewa unless he has been served with a notice and has been recorded a reasonable opportunity to be heard by the Competent Officer. In the manner as may be prescribed:

Provided further that, no costs shall be recoverable, where the application for such service is deficient in any magner and such deficiency has been indicated in the acknowledgment referred to in sub-section (3):

Provided also that, no costs shall be recoverable, where the delay in delivering such service is, in the opinion of the Competent Officer, owing to reasons be youd the control of the person responsible; for delivering Lak Sewa.

the

ide

The manner of recovery of costs and payment to the applicant under sub-(5) s ection (4) shall be as may be prescribed. Ap, pointment of 57 Every department shall notify one or more persons, not below the rank of the person Competent Officer. responsible for delivering Lok Sewa, as competent officer for the purposes of this Act. No person shall submit any application which contains any fact or information, which Liability for 6 furnishing false he knows or has reasons to believe to be false, to obtain any Lok Sewa, and he who information to obtain furnishes such fact or information may be liable for criminal action under the law for Lok Sewa. the time being in force, Any person who is aggrieved by an order passed by the Competent Officer Right of Appeal. 7. (1) under this Act, shall be entitled to file an appeal before the Appellion Authority, in the manner as may be prescribed, within a period not exceeding thirty days from the receipt of the impugned order; and the Appellate Authority shall decide the appeal within a maximum period of 45 days from the date of institution of the appeal and while deciding the appeals shall follow the principles of natural justice. The order of the appellate authority shall be final and binding. Every department shall notify a person not being below the rank the (2) Competent Officer, to be the Appellate Authority for the purposes of sall section (1). (3) A copy of the order made by the Appellate Authority, in respect of a perresponsible for delivering Lok Sewa, shall be forwarded to the department having administrative or disciplinary control over such person for being n taintained in the records pertaining to the work related performance of the person for taking such administrative action as deemed appropriate by it Deemed service con-The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the serviconditions, the disciplinary and financial rules and such other service rules and resc

ditions.

lations as are applicable to the person responsible for delivering Lok Sewa.

Power to make rules.

Q

- The: Government may, by notification, make rules for carrying out the (1) pro visions of this Act.
- In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power (2) such rules may provide for all or any of the following matters, namely :
  - the manner in which cost for failure to obtain Lok Sewa is to be received by the applicant under section 3 and its payment is to be made to the applicant under sub-section (5) of Section 4;
  - (b) the manner in which an application for Lok Sewa is to be acknowledged and its status is to be obtained by the applicant under subsection (3) of Section 4;
  - (c) the manner of issuing notice, the procedure for hearing by Competent Officer, and the manner of fixing the liability of cost, and its recovery under sub-section (4) of Section 4;
  - the manner of preferring an appeal and the procedure governing (d) disposal of such appeal by the appeallate authority under section 7:
  - (e) any other matter which is required to be, or may be prescribed.
- (3) Every rule made under this Act by the Government shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly of the State.



10. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provision: of this Act, the Government may, by order published in the official gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulties:

Power to remove difficulties.

Provided that, no such orders shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the Legislative Assembly of the State. "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हैतु अनुमत, क्रमांक जी, 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि, से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीससंद/दुर्ग/09/2010-2012.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315]

रायपुर, सोमवार, दि नांक 12 दिसम्बर 2011-अग्रहायण 21, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्राल य, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-1/2011/1-6. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धा ए 1 की उप-धारा (3) हारा प्रदत्त सक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिसम्बर 2011 के बारहवें दिन को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के रूप में नियस करती है.

छङ्गीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश नुसार, निधि किंब्बर, सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

क्रमोंक एफ 3-1/2011/1-6.—भा त के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमोंक एफ 3-1/2011/1-6, दिनांक 12-12-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> हात्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निश्चि क्रिक्टर, सचिव.

Raipur, the 12th December 2011

#### NOTIFICATION

No. F 3-1/2011/1-6.—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, appoints the twelfth day of December, 2011 as the date on which said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, NIDHI CHHIBBER, Secretary.



्बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2010-2012,"

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2011-अग्रहायण 23, शक 1933.

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 20:11

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-2/2011/ 1-6. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधि नियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रन्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोक सेवा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने, अपील प्रस्तुत करने एवं परिव्यय के भुगतान की प्रक्रिया विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

#### नियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) ये नियम छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम, 2011 कहलाएंगे।
  - (2) ये नियम राजपात्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
  - (क) "अधिनित्यभ" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011);

- (ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 (क) में विनिर्दिष्ट अधिकारी जिसमें अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति निहित हो;
- (ग) "सक्षम अधिकारी" से अभिप्रेत हैं, अधिनियम की धारा 2 (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकारी जौ लीक सैवा प्रदाय करने के लिए उत्तरदा यो व्यक्ति द्वारा कारित व्यतिक्रम या विलंब के लिए परिव्यय अधिरोपित करने हेतु सशक्त किया गया हो;
- (घ) "परिट्यय" से अभिप्रेत हैं, अधिनियम की धारा 4 (4) में विनिर्दिष्ट लोक सेवा प्रदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु अधिरोपित राशि;
- (ङ) "विभाग" से अभिप्रेत है, आं धनियम की धारा 2 (ग) में विनिर्दिष्ट शासन का विभाग या स्थानीय निकाय, प्राधिकारी या अभिकरण का कक्ष, प्रभाग, शाखा, कार्यालय या संघटक इकाई, यथास्थिति, जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो:
- (च) **''पदाभिहित अधिकारी''** ने अभिप्रेत हैं, अधिनियम की धारा 4 (1) में लोक सेना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति;
- (छ) **''प्रपत्र''** से अभिप्रेत हैं, अधि नियम के अधीन बनाए गए इन नियमों से संलग्न प्रपत्र :
- (ज) "शासन" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 (घ) में विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ शासन;
- (झ) "स्थानीय निकाय" से अभिग्रंत है, अधिनियम की धारा 2 (ङ) में विनिर्दिष्ट कोई ग्राधिकारी, नगर पालिक निगम, नगरपालिका, पंचायत या कोई अन्य निकाय;
- (ञ) ''लोक सेवा'' ने अभिप्रेत हैं, अधिनियम की धारा 2 (च) में विनिर्दिष्ट लोक सेवाएं;
- (ट) **"अधिसृचना**" तथा **"अधिसृ चित"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 (छ) में विनिर्दिष्ट राजप ने प्रकाशित आ धसूचना;
- (ठ) "विहित" से अभिप्रेत है, इन नियमों द्वारा विहित;
- (ड) **"लांक प्राधिकारी"** से अभिप्रेत हैं, अधिनियम की धारा 2 (झ) में विनि**र्दिष्ट प्राधिकारी या** निकाय या स्वशार्स। संस्था:
- (ढ) "निग्यम" से अभिप्रेत हैं, छर तसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेडन, अपील तथा पश्चियव का भुगतान) नियम, 2011:

- "अनुसूची" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित नागरिकों से संबंधित लोक सेवाओं की इन नियमों के अंतर्गत जारी की जाने वाली अनुसूची;
- "नियत समय" से अभिप्रेत है, लोक सेवा प्रदाय करने के लिए या (त) अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के निर्णय के लिये इन नियमों द्वारा अधिसचित, विनिर्दिष्ट समय,
- (2) ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इन नियमों में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये है, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में जनके लिए दिये गये हैं।
- पदाभिहित अधिकारी का अधिकृत किया जाना.- प्रत्येक विभाग, अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन लोक सेवाओं को नियत समय में प्रदान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी को पदामिहित करेगा और ऐसा पदाभिहित अधिकारी प्रत्येक आवेदन पत्र पर कार्यवाही करने एवं आवेदक द्वारा चाही गई लोक सेवा को अनुसूची में दर्शित नियत समय के भीतर उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।
- आवेदन प्राप्त करने की प्रकिया. विभाग द्वारा पदाभिहित किया गया प्रत्येक अधिकारी, उसके द्वारा प्रदाय की जाने वाली लोक सेवाओं से संबंधित आवेदन, पत्रों को प्राप्त करने, जनका परीक्षण करने एवं आवेदक को जनकी अभिस्वीकृति देने हेत् उसके अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी को अधिकृत करेगा।
- आवेदक को अभि स्वीकृति जारी की जाना.— उक्त व्यवस्था के अधीन अधिकृत किए गए अधिकारी / कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अविलंब उन दस्तावेजों की जांच की जाएगी जो सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाना आवश्यक हों। आवश्यक सहपत्रों के साथ पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र ही ग्राह्य किया जाएगा एवं अधिकृत अधिकारी / कर्म वारी द्वारा नियम 4 में वर्णित अनुसार, प्रपत्र-1 में आवेदन की

प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर अपूर्णता संबंधी टीप अंकित कर आवेदक को उसी समय लौटा दिया जाएगा। प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों को उसी कार्य दिवस में वांछित लोक सेवा को प्रदाय करने हेतु उत्तरदायी "पदाभिहित अधिकारी" को प्रस्तुत किया जाएगा।

6. सक्षम अधिकारी घोषित किया जाना.— प्रत्येक विभाग, पदामिहित अधिकारी द्वारा कारित व्यतिकम या विलम्ब के संबंध में जांच करने के लिए अधिनियम की धारा 5 के तहत एक या एक से अधिक सक्षम अधिकारी घोषित करेगा, जो लोक सेवा प्रदाय करने के लिए उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी की श्रेणी से निम्न का नहीं होगा। ऐसा अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पदामिहित अधिकारी पर परिव्यय अधिरोपित करने हेतु सक्षम होगा।

नियत समय में वांछित लोक सेवा प्रदाय करने में पदाभिहित अधिकारी के असफल रहने पर, आवेदवर द्वारा सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रस्तुत की जा सकेगी। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर, सक्षम अधिकारी सेवा की प्रदायगी में हुए विलम्ब के कारणों की जांच वर्रिंगा एवं इस संबंध में पदाभिहित अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए शिकायत का निराकरण अधिकतम 30 दिवस में करेगा। पदामिहित अधिकारी द्वारा विलम्ब के संबंध में प्रस्तुत कारणों एवं तकों के आधार पर सक्षम अधिकारी उसके उत्तरदायी होने अथवा न होने के संबंध में विनिश्चय करेगा। पदानिहित अधिकारी द्वारा नियंत समय में सेवा प्रदाय न किए जाने हेत् उत्तरदायी पाए जाने पर सक्षम अधिकारी, अधिनियम की धारा 4(4) के प्रावधान के अधीन आदेश द्वारा यथोचित परिव्यय अधिरोपित कर संकेगा, और यदि आवेदक को चाही गईं सेवा प्रदाय न की गई हो, तो उसे यथाशीघ प्रदाय करने का निर्देश दे सकेग!। सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति, आवेदक, पदाभिहित अधिकारी एवं पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रणकर्ता अधिकारी को दी जाएगी। परिव्यय अधिरोपित होने के बाद भी आवेदक को वांछित सेना यथाशीघ्र प्रदाय करने का पदा मिहित अधिकारी का दायित्व यथावत बना रहेगा।



सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिवस के भीतर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

- 7. अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाना.— प्रत्येक विभाग, सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपील की सुनवाई हेतु अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन सक्षम अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी को अपीलीय अधिकारी अधिसूचित करेगा। अपीलीय अधिकारी, अपील संस्थित होने के दिनांक से 45 दिवस की अधिकतम अवधि के भीतर अपील निराकृत करेगा एवं अपील के निराकरण के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम एवं अधिकारी होगा।
- 8. अपील.— सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित पक्ष द्वारा, प्रश्नाधीन आदेश की प्राप्ता से 30 दिवस से अनिधक अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। अपील हेत् कोई शुल्क देय नहीं धोगा।
  - (1) अपील के आवेदन में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत किया जाना · आवश्यक होगा —
    - (एग्डं) अपीलार्थी का नाम और डाक का पूर्ण पता,
    - (रदो) वांछित सेवा का संक्षिप्त विवरण,
    - (तीन) सेवा प्रदाय किए जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत किए गए आवेदन का दिनांक
    - (चार) सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र का दिनांक,
    - (पांच) सक्षम अधिकारी द्वारा पारित उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का दिनांक विशिष्टियों सहित,
    - (छः) अपील के आधार,
    - (सात) चाही गई राहत,
    - (आठ) कोई अन्य सुसंगत जानकारी जो अपील करने के लिए आवश्यक हो।
  - (2) अपील के साथ संलग्न किए जाने वाले सस्तावेज प्रत्येक अपील आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, अर्थात :--

- (एक) सक्षम अधिकारी द्वारा पारित उस आदेश की स्वप्रमाणित प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही हो,
- (दो) अपील के आवेदन में उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियां,
- (तीन) अपील के आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की अनुक्रनणिका,
- (चार) आवेदक एवं अपीलार्थी के मूल आवेदन में उल्लिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां ।
- 9. अपील का विनिश्चय करने हेतु प्रक्रिया.— अपील के आवेदन पत्र का विनिश्चय करने हेतु अपीलीय अधिकारी द्वारा
  - (एक) सुसंगत दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतियों का निरीक्षण किया जायेगा,
  - (वो) यथास्थिति, अपील की सुनवाई के समय पदाभिहित अधिकारी/आवेदक के पक्ष एवं तर्क को सुनकर अपील का विनिश्चय किया जायेगा।
- 10. सुनवाई की सूचना का तामील िक्या जाना.— अपील आवेदन की सुनवाई की सूचना निम्नलिखित में से किसी एक रीति में, तामील की जा सकेगी
  - (एक) विशेष वाहक के हस्ते,
  - (दों) अभिस्वीकृति देय पंजीकृत डाव्ह द्वारा,
  - (तीन) शासकीय सेवक को उसके नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से।
- 11. अपीलार्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति.— (1) प्रत्येक दशा में अपीलार्थी को सुनवाई की तारीख के बारे में, ऐसी सुनवाई की तारीख से कम से कम 7 दिवस पूर्व सूचित किया जायेगा।
  - (2) यदि कोई पक्षकार उस पर सूचाना की सम्यक् तामीली होने के पश्चात् उस तारीख को, जो सुनवाई के लिए नियत की गई है, अनुपस्थित रहता है तो अपीटन के आवेदन का निपटारा उसकी अनुपस्थिति में किया जा सकेगा।
- 12. अपील में आदेश का पारित किया जाना.— (1) अपील की सुनवाई के दौरान जपस्थित पक्षकारों की उपस्थिति के प्रमाण स्वरूप उनके हस्ताक्षर/अंगूठा निशान आदेश पत्रक में लिए जाएंगे।



- (2) अपील में पारित आदेश की प्रति दोनों पक्षों को दी जायेगी तथा निम्नांकित को भी पृष्ठांकित की जाएगी :-
  - (क) सक्षम अधिकारी को सूचनार्थ एवं पदाभिहित अधिकारी की अपील अग्राह्य होने की स्थिति में, परिव्यय का भुगतान सुनिश्चित करने के , निर्देशों के साथ,
  - (ख) संबंधित पदाभिहित अधिकारी के प्रशासनिक या अनुशासनात्मक नियंत्रण रखाने वाले विभाग को, ऐसी प्रशासनिक कार्यवाही करने के लिए जो उचित समझी जाए, उसके कार्य निष्पादन से संबंधित दस्तावेजों में संधारित करने हेतु।
- 13. परिव्यय का मुगतान.— अपील अमान्य अध्यवा अपास्त होने पर, पदामिहित अधिकारी को, सक्षम अधिकारी द्वारा उस पर अधिरोपित किए गए परिव्यय का भुगतान 07 दिवस में करना होगा।
- 14. परिव्यय के भुगतान की रीति.— (1) परिव्यय दश भुगतान निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :-
  - (क) प्रत्येक सक्षम अधिकारी द्वारा परिव्यय की वसूल की गई राशि जमा एवं भुगतान करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने पद नाम से बचत खाता खोला जाएगा तथा उसमें जमा होने वाली एवं भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण अपने कार्यालय में पृथक से कैशबुक में संधारित किया जाएगा।
  - (ख) प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी उस पर अधिरोपित की गई परिव्यय की राशि को खण्ड (क) में उल्लिखित अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा खोले गए विंक के बचत खाते में जमा करेगा तथा बैंक द्वारा दिए गए प्रतिपर्ण (Counter foil) की छायाप्रति सहित सक्षम अधिकारी को स्वित करेगा।
  - (ग) सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त जमा हुई परिव्यय राशि आवेदक को यथारिथति समक्ष में अथवा डाक द्वारा चैक / बैंक ड्राफ्र अथवा मनीआर्डर के माध्यम से भुगतान की जाएगी।

- (घ) परिव्यय के भुगतान हेतु आवेदक को भेजे जाने वाले बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर में लगने वाले शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा उसके बैंक खाते में जमा ब्याज राशि से अथवा संबंधित कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा आकस्मिक व्यय के मद से की जा सकेगी।
- (2) अन्य तरीके से मुगतान— (एक) पदािमहित अधिकारी द्वारा उस पर अधिरोपित परिव्यय की राशि का भुगतान नियम 13 में विनिर्दिष्ट समयाविध में न करने पर, सक्षम अधिकारी द्वारा आहरण एवं सवितरण अधिकारी को पदािमहित अधिकारी के आगामी वेतन से वसूल करने एवं नियम 14 (1) (क) में उल्लिखित बैंक बच्चत खाते में जगा करने के लिए निर्देशित करेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश, आहरण एवं संवितरण अधिकारी पर बाध्यकारी होंगे।
- (दो) ऐसी राशि आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा उपरोकतानुसार जमा कर सक्षम अधिकारी को सूचित किया जाएगा, जिसके द्वारा नियम 14 (1) (ग) में वर्णित अनुरूप आवेदक को भुगतान किया जाएगा।
- 15. सेवा प्रदाय करने हेतु नियत समय की गणना.— लोक सेवा प्रदाय करने के लिए नियत समय की गणना कार्य दिवस के रूप में की जाएगी।
- 16. नोटिस बोर्ड पर जानकारी का प्रदर्शन.— पदाभिहित अधिकारी, इन नियमों से संलग्न प्रपत्र—2 में आम जनता की सूचना के लिए, उसकी ओर से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं को दर्शाने वाली सुसंगत सूचना, कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करवाएगा, नोटि स बोर्ड पर अधिसूचित सेवाए प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले आवेदन के साथ सत्गन किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण भी होगा।
- 17. अधिनियम के अधीन निराकृत प्रकरणों के अभिलेख का संधारण.— अधिनियम, के अधीन निराकृत प्रकरणों के अभिलेख का संधारण करने हेतु पदाभिहित अधिकारी द्वारा इन नियमों से संलग्न प्रपत्र—3 में तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र—4 में निर्धारित पंजी संधारित की जाएगी।

- 18. लोक सेवा प्राप्त करने हेतु असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर दायित्व.—
  कोई व्यक्ति लोक सेवा प्राप्त करने के लिए ऐसा आवेदन नहीं देगा किंसमें ऐसा
  तथ्य या जानकारी अन्तर्विष्ट हो, जिसे वह जानता है या यह विश्वास करने का
  कारण है कि वह असत्य है, तथा ऐसा व्यक्ति जो ऐसा तथ्य या जानकारी प्रस्तुत
  करता है, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आपराधिक कार्यवाही के लिए दायी
  होगा।
- 19. निगरानी (पर्यवेक्षण) एवं निरीक्षण.— राज्य शासन, अधिनियम के उपब्रंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रकरणों की निगरानी (पर्यवेक्षण) करने, पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी तथा आहरण एवं सवितरण अधिकारी के कार्यालयों के निरीक्षण के लिए समय—समय पर निर्देश जारी कर सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अगदेशानुसार, निधि जि**ब्बर**, सचिव.

## प्रपत्र - 1 (नियम 5 देखिये)

## छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अभिस्वीकृति का प्ररूप

	ाभिहित अधिकारी के कार्यालय का म एवं पता	***************************************
1.	आवेदक का नाम एवं पता	
		***************************************
2.	पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक	
3.	सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है।	
4.	उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है किन्तु आवेदन के साध संलग्न नहीं किये गये हैं।	***************************************
5.	लोक सेवा ग्रदाय करने हेतु निश्चित की गई समय—सीमा के अनुसार अंतिम तारीख	***************************************

स्थान :	3	प्राप्त	कर्ता	के	हस्ता	क्षर
दिनांक :	नाम	एवं	पदन	ाम	(मुद्रा	संदित)

नोट- आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की रिथति में उपरोक्त बिन्दु-5 में अंतिम तारीख नहीं दी जायेगी।



#### प्रपत्र - 2

## (नियम 16 देखिये)

## नोटिस बोर्ड पर जानकारी प्रदर्शित करने का प्ररूप

पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय ......

<b>報0</b> 第0	अधिसूचित लोक सेवा	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज की सूची	सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित समय—सीमा	सक्षम अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अपील प्राधिकारी वज नाम, धदनाम एवं कार्यालय वज पता	अपील के निराकरण हेतु समय—सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		***************************************				
2	1	4,000				
3	74					

1.	पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त	***************************************
7	करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कक्ष	
2.	अपील प्रस्तुत करने के लिए समय—सीमा	सक्षम अधिकारी के विनिश्चय से 30 दिवस के भीतर

नोट- आवेदक कृपया आनोदन की अभिस्वीकृति अवश्य प्राप्त करें।

## प्रपत्र — 3 (नियम 17 देखिये)

पदाभिहित अधि	घेकारी के	कार्यालय	में संघारित	ा की जाने	वाली	पंजी/	का प्र	रूप
पदाभिहित	अधिकारी	के कार्याल	ाय का ना	Я		**********		
	माछ		वर्ष	***********			7	

स0 क्र0	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये शावेदन दिया गया है	आवेदन स्वीकृत/ निरस्त	निश्चित की गई समय-सीमा की अंतिम तारीख	सेवा प्रदाय किए जाने की तारीख	सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					l'	771
					A	

## प्रपत्र -- 4 (नियम 17 देखिये)

अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में संघारित की जाने वाली पंजी का प्ररूप अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय का नाम

(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	अपीलार्थी का नाम एवं पता	अपील प्रस्तुत करने का दिनांक	उसा सक्षम अधिकारी का प्रत्नाम (कायां लय के नाम सहित) जिसाके विनिश्चम के विनिश्चम के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है	अपील के निराकरण हेतु निश्चित की गई समय-सीमा की अंतिम तारीखा	अपील में पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					11
			2 1 2 4	5 0-70	
				[m]	

#### रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 3-2/2011/1-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/2011/1-6, दिनांक 14-12-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निधि छिष्कर, सचिव.

#### Raipur, the 14th December 2011

#### NOTIFICATION -

No. F 3-2/2011/1-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby makes the following rules for laying down the procedure for presenting application, appeal and payment of cost, ramely:—

#### RULES

 Short title and commencement. (1) These rules may be called the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee (Avedan, Appeal, tatha Parivyaya ka Bhugtan) Niyam, 2011.

(2) They shall come into force from the date of its publication in the Official.

Gazette.

- 2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Act" means, the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No.23 of 2011);
  - (b) "Appellate Authority" means, an officer empowered in Section 2(ω) of the Act who can hear appeals against the orders passed by the Competent Officer;

(c) "Competent Officer" means, an officer empowered to impose cost for default or delay caused by the person responsible for delivery of Lok

Sewa as mentioned in Section 2(b) of the Act:

(d) "Cost" means, cost as imposed for payment by the Competent Authority on a person responsible for delivering Lok Sewa for the services specified in Section 4(4) of the Act.

(e) "Department" means, a Department of the Government or a section, division, branch, office or constituent unit, or by whatever name called, of a local body, public authority or agency, as the case may be, as mentioned in Section 2(c) of the Act;

f) "Designated Officer" means, an officer responsible for delivering Lok

Sewa as mentioned in Section 4(1) of the Act;

(g) "Form" means, form attached to these rules made under the Act;

- (h) "Government" means, the Government of Chhattisgarh as mentioned in section 2(d) of the Act;
- "Local body" means, any Authority, Municipal Corporation, Municipality, Panchayat or any Other Body, as mentioned in Section 2(e) of the Act;

(j) "Lok Sewa" means, Services mentioned in Section 2(f) of the Act;

(k) "Notification" and "Notified" means a notification published in the Official Gazette under Section 2(g) of the Act;

(l) "Prescribed" means, prescribed by these rules;

- (m) "Public Authority" means, an authority or body or an autonomous body mentioned in Section 2(i) of the Act;
- (n) "Rule" means, the Chhattisgarh Lok Sewa Charantee (Avedan, Appeal, tatha Parivyaya ka Bhugtan) Niyam, 2011;
- (o) "Schedule" means, issuing of Schedule under these rules related to notified civilians in public services under Section 3(1) of the Act;
- (p) "Stipulated time" means, the specified time to provide Lok Sewa or to decide the appeal by the Appellate Authority notified under these rules;
- (2) The words and express ion used in these rules which are not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
- 3. Authorization of Designated Officer. Each department, shall designate a responsible officer, for delivering Lok Sewa in prescribed time under Section 4(1), and the designated officer shall be responsible for necessary action on each application and providing Lok Sewa to the applicant in stipulated time as mentioned in the Schedule.
- 4. Procedure for receiving application.— Each Officer designated by department shall authorise his sub-ordinate officer/employee to receive the applications, examine them and to issue the acknowledgement to the applicant for the public services provided by his office.
- 5. Issuing of acknowledgement to applicant.— The officer/employee authorised under the said procedure, on receipt of applications shall immediately check whether necessary documents have been annexed with the application. Application which is complete in all respect and with necessary documents shall only be entertained. Authorised officer/employee shall give acknowledgement to the applicant in Form-1, as specified in rule 4. Incomplete applications shall be returned back to applicant with a note on its incompleteness. Complete applications received on each working day, shall be produced before "Design ated Officer" on the same working day for providing Lok Sewa.

6. Declaration of Competent Officer. As per Section 5 of the Act, each department shall declare one or more than one Competent Officer, who is/are not below the rank of Designated Officer responsible for providing Lok Sewa, for enquiring the default or delay made by Designated Officer. The Competent Officer shall have the powers to impose cost on Designated

Officer under the provisions of the Act.

If the Designated Officer failed to provide Lok Sewa in stipulated time, the applicant may submit complaint to Competent Officer. On receiving such a complaint, Competent Officer shall enquire into the reasons for delay in providing Lok Sewa and after according a reasonable opportunity of hearing to the Designated Officer, decide the complaint within 30 days. Competent Officer after going through reasons and facts produced by Designated Officer shall decide whether he is responsible or not for delay in providing Lok Sewa. If Designated Officer is found responsible for not providing services in stipulated time then the Competent Officer shall impose cost under Section 4(4) of the Act and give the directions to provide services at the earliest, if the services are not provided to the applicant. Copy of the order passed by Competent Officer shall be endorsed to applicant, designated officer and the officer having admir istrative control over designated officer. Responsibility of designated officer to provide service required by the applicant at the earliest shall remain in tact even after cost is imposed on him.

Any person who is aggrieved by an order passed by the Competent Officer shall be entitled to file an appeal before the Appellate Officer within 30 days.

- 7. Appointment of Appellate Officer. For the hearing of appeals filed by the aggrieved party against the order passed by Competent Officer, each Department shall notify Appellate Officer under Section 7(2) of the Act whose rank shall not be below the rank of Competent Officer. Appellate officer shall decide the appeal within a maximum time limit of 45 days, from the date of filing appeal and while disposal of appeal follow rules of natural justice. The order passed by Applellate Authority shall be final and binding.
- 8. Appeal.- Any person who is aggrieved by an order passed by the Competent Officer shall be entitled to file an appeal before the Appellate Authority within a period, not exceeding thirty days from the receipt of the impugned order. There s'nall be no fees for appeal.
  - (1) The following information shall be furnished in an application for appeal-

name and complete address of the appellant; (i)

(ii) brief description of required service;

date of the application produced before designated officer for (iii) providing service;

date of the application produced before competent officer; (iv)

- particulars of that order of competent officer against whom (v) appeal is made with date;
- the grounds for appeal; (vi)

(vii) relief sought;

- (viii) any other information necessary for filing appeal.
- (2) Documents to be annexed with appeal- The following documents shall be annexed with every application for appeal, namely:-

self-attested copy of the order of the competent officer against

which the appeal is made;

the copies of the documents mentioned in the application for (ii) appeal:

the index of the documents annexed with the application for (iii)

appeal:

- (iv) self-attested copies of the documents mentioned in the original applications of applicant and appellant.
- 9. Procedure for deciding appeal.- In deciding the application for appeal the Appellate Authority shall -

inspect relevant documents, public documents or copies

- hear designated officer/applicant, as the case may be, at the (ii) time of appeal.
- 10. Service of notice of hearing. The notice of hearing of application for appeal may be served in any of the following manner -

(i) by hand delivery (dasti) through special messanger;

(ii) by the registered post with due acknowledgement;

- (iii) in case of a Government servant, through his controlling officer.
- Personal appearance of the appellant.- (1) In every case the appellant shall be intimated with the date of hearing, at least seven clear days prior to such date of hearing.

(2) If any party remains absent after due service of notice of the fixed date of 'nearing, then the application for appeal may be disposed in his absence.

- 12. Order in appeal.- (1) During hearing of Appeal signature/thumb impression of both the parties shall be obtained in order sheet;
  - (2) The copy of appeal order shall be given to both parties and also endorsed to the following:-
    - (a) For information to Competent Officer and if the appeal of designated officer is rejected then, with the direction to pay amount of cost positively;

(b) Administrative or Disciplinary controlling department of concerned designated officer for appropriate administrative action and for record in his service particulars.

- 13. Payment of cost.- In case of dismissal or rejection of appeal the designated officer has to pay the amount of cost within seven days as imposed by the Competent Officer on him.
- 14. Method for the payment of cost.- (1) Cost shall be paid in the following manner:-
  - (a) Each Competent Officer shall open a savings account in his own name in a nationalized bank for depositing and withdrawal of amount collected as the cost and maintain record of the amount deposited and withdrawn in his office in a seperate cash book.
  - (b) Each Designated Officer shall deposit amount of cost imposed on him in the account opened by Competent Officer as mentioned in the (a) above and shall inform to the Competent Officer along with the photocopy of counterfoil as given by the bank.

(c) Amount deposited as above shall be paid to the applicant in person or by cheque/bank draft or through money order.

- (d) For the payment of cost to the applicant, fees incurred on bank draft or money order shall be borne by Competent Officer through interest on the amount deposited in bank or by concerning drawing and disbursing officer from contingency fund.
- (2) Payment by other methods (i) If the Designated Officer failed to pay the amount of cost imposed on him as specified in rule 13, then the Competent Officer shall direct drawing and disbursing officer to recover the amount of cost from the next salary of the Designated Officer and deposit it in the bank saving account as mentioned in rule 14(1)(a). Directions of Competent Officer shall be binding on drawing and disbursing officer.

(ii) Amount received as above method shall be deposited by the drawing and disbursing officer under intimation to the Competent

Officer, who in turn pay it to the applicant as specified in the rule 14(1)(c).

- Calculation of stipulated time for the service. For providing Lok Sewa Calculation of stipulated time shall be in the form of working days.
- 16. Display of information on the notice board. The Designated Officer in Form-2 attached with these rules shall cause to exhibit the relevant information of the services on a notice board installed at a conspicuous place of his office for the convenience of general public. The details of necessary documents to be attached with an application for obtaining notified services shall be displayed on the notice board.
- 17. Maintenance of record of disposed cases under the Act. For the maintenance of record of disposed cases under the Act, The Designated Officer, shall maintain the record of the cases in Form-3, and appellate officer in Form-4 attached with these rules.
- 18. Liability for furnishing false information to obtain Lok Sewa.- No person shall submit any application which contains any fact or information, which he knows or has reasons to believe to be false, to obtain any Lok Sewa, and who furnishes such fact or information may be liable for criminal action under the law for the time being in force.
- 19. Monitoring and inspection. The State Government may issue directions from time to time for effective implementation of the provisions of the Act, superintendence of the cases filed under the Act and for the inspection of the offices of the Designated Officer, Competent Officer, Appellate Authority and Drawing and Disbursing Officer.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, NIDHI CHHIBBER, Secretary.

#### FORM 1 (See rule 5)

#### Form of acknowledgement under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011

	me and address of the office of signated Officer	
1.	Name and address of the applicant	***************************************
2	Date of receiving application in the office of designated officer.	***************************************
3.	Name of the service for which the Application is give n.	
4.	Particulars of the diocuments which are essential for receiving service, but are not enclosed with the application.	
5.	Last date as per stipulated time limit for delivery of Lok Sewa	***************************************

Place:

Date:

Signature of Recipient
Name and Designation with Seal.

Note:- In case of not receiving all the documents with the application, the last date mentioned in point 5 above shall not be given.

### FORM 2 (See rule 16)

## Form for providing information on notice board

Name, Designation and Office	
of the Designated Officer.	

S. No.	Notified Public Service	Documents to be annexed with the application	Stipulated time limit for the services	Name and Designation of the Competent Officer	Name and Designation and address of the office of Appellate Authority	Stipulated time limit for the disposal of appeal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
			-			

1.	Name, Designation and Chamber of the Officer/employee authorised to receive applacation in the office of Designated Officer	***************************************
2.	Time limit for filing appeal.	Within thirty days from the decision of competent officer.

Note- Please obtain acknowledgement of your application compulsorily.

## FORM 3 (See rule 17)

Form of register to be maintained in the office of Designated Officer
Name of the office of the designated officer
Month Year

S. No.	Name and address of applicant	Service for which the application is given	Application allowed/ dis-allowed	Last date of the stipulated time limit	Date of providing service	Date and details of the order passed by Competent Officer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					F 2	



### FORM 4 (See rule 17)

S. No.	Name and address of appellant	Date of filing; appeal	Designation of the Competent Officer (Alongwith the name of office) against the decision of whom the appeal is filed)	Last date of the stipulated time limit as fixed for the disposal of appeal	Date and detail of order in appeal.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



## ग्रामोद्योग विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-27/2011/(6) 52.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

## अनुसूची

स. क.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम*	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले लोक पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
٠.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा प्रभाग	बुनकर सहकारी समितियों एवं हाथकरघा इकाईयों के वित्तीय प्रस्ताव का निराकरण !	45 कार्य दिवस	उप संचालक हाथकरघा	संयुक्त संचालक हाथकरघा	संचालक हाथकरघा
2	जिला हाथकरघा कार्यालय	बुनकर सहकारी समितियों व हाथकरघा इकाईयों के वित्तीय प्रस्ताव का निराकरण ।	30 कार्य दिवस	सहायक / उप संचालक (जिला प्रभारी अधिकारी)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	कलेक्टर
		बुनकर सहकारी समितियों व हाथकरघा इकाईयों के वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत योग्य न होने की सूचना देना ।	30 कार्य दिवस	सहायक / उप संचालक (जिला प्रभारी अधिकारी)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	कलेक्टर
		बुनकर सहकारी समितियों व हाथकरघा इकाईयों के पंजीयन संबंधी कार्यवाही	30 कार्य दिवस	सहायक / उप संचालक (जिला प्रभारी अधिकारी)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	कलेक्टर

	ग्रामोद्योग	(1) टसर रेशम विकास एवं विस्तार				
3			20	उप	ninser.	TITTE
	संचालनालय,	योजना के अंतर्गत टसर कृमि पालन	30		संयुक्त	अपर
	रेशम प्रभाग	कौसा का भुगतान एवं इस संबंध में	कार्य	संचालक	संचालक,	संचालक
		हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का	दिवस	रेशम	रेशम	रेशम
		निराकरग ।		8.3		
		(2) कृभि पालको को पालिल प्रजाति				
		के टसर स्वस्थ डिम्ब समूह की				
		प्रदाय योजना के अन्तर्गत टसर			De Contract	
		कृमिपालन कोसा। भुगतान एवं			-3	
		विकासिक के समय अपने में जन				
	4	हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का		10 10 P. Con	Ser Walder	B. Warner
	AND DESCRIPTION	निराकरण ।		gran Cirille	e filmlös rife	MET AT THE
		(3) नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन	DI -	F 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	STATE AND ADDRESS.	A STATE OF THE PARTY
		विकास के अन्तर्गत नैसर्गिक कैम्प				
		का भुगतान एवं हितग्राहियों से प्राप्त		BIT OF THE	DAY THE	- Banana
		आवेदनों का निराकरण ।		- Charles	TAME OF	一年 田 音
	1 1	(4) मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार				
		योजना के अंतर्गत मलवरी कृषकों				
		का भुगतान एवं कृषकों से प्राप्त		endern steen	W - Owner	district in
	Sel H	का मुनातान एवं कृषका से प्राप्त				
	原创 1 为国	आवेदन का निराकरण ।		STORY PRODUCT	Forter Section	Miles Month of the Control
		(5) अरण्डी रेशम विकास एवं विस्तार		Grantin 20		TOTAL S
		योजना के अंतर्गत कृषकों का	AND THE PERSON NAMED IN	M. Seed	TO SERVICE OF THE	MINE.
		भुगतान एवं प्राप्त आवेदनों का				149
		निराकरण ।			7	
		(6) उत्परेण विकास कार्यक्रम के				
		अन्तर्गत हितग्राहियों का भुगतान एवं				P
		प्राप्त आवेदनों का निराकरण।			TO THE REAL PROPERTY.	S. S.
	TRATUSE /TOO	(४) ज्यान नेपार विकास सर्व विकास	20		THE WAR THE	Y. e 17419
4	सहायक / उप	(1) टसर रेशम विकास एवं विस्तार	30	84/	मुख्य	कलक्टर
	संचालक,	के अन्तर्गत पालित प्रजाति के	्काय			and the same
	जिला रेशम	हितग्राहियों को विभागीय एवं			अधिकारी	
	कार्यालय/	प्राकृतिक वन क्षेत्रों में टसर कृमि	rpigett I	रेशमं	THE REAL PROPERTY.	
	TEATTE				and the second second	1055
	सहायक	पालन का प्रशिक्षण एवं उत्पादन	The Street of		White section	THE TANK
	संचालक				क्षा अस्ति । विकास	
	संचालक	योजना से संबंधित सेवाएं प्रदान	Line Hells		A Sept. 18	
	संचालक रेशम (बीज)	योंजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योंजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता	Line Hells		A Sept. 18	
	संचालक रेशम (बीज)	योंजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योंजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध कराना एवं समय पर मुगतान करना।	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योंजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को दसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध कराना एवं समय पर भुगतान करना । (2) कृमि पालकों को पालित प्रजाति	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योंजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध कराना एवं समय पर भुगतान करना । (2) कृमि पालको को पालित प्रजाति के टसर स्वस्थ डिम्ब समूह की	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योंजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध कराना एवं समय पर मुगतान करना । (2) कृमि पालकों को पालित प्रजाति के टसर स्वस्थ डिम्ब समूह की प्रदाय योजना के अन्तर्गत टसर	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योंजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध कराना एवं समय पर मुगतान करना । (2) कृमि पालकों को पालित प्रजाति के टसर स्वस्थ डिम्ब समूह की प्रदाय योजना के अन्तर्गत टसर	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध कराना एवं समय पर मुगतान करना । (2) कृमि पालको को पालित प्रजाति के टसर स्वस्थ डिम्ब समूह की प्रदाय योजना के अन्तर्गत टसर कृमिपालन कोसा। भुगतान एवं	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध कराना एवं समय पर मुगतान करना। (2) कृमि पालकों को पालित प्रजाति के टसर खस्थ डिम्ब समूह की प्रदाय योजना के अन्तर्गत टसर कृमिपालन कोसा। भुगतान एवं हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध कराना एवं समय पर मुगतान करना । (2) कृमि पालकों को पालित प्रजाति के टसर स्वस्थ डिम्ब समूह की प्रदाय योजना के अन्तर्गत टसर कृमिपालन कोसा। भुगतान एवं हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण ।	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध कराना एवं समय पर मुगतान करना। (2) कृमि पालकों को पालित प्रजाति के टसर स्वस्थ डिम्ब समूह की प्रदाय योजना के अन्तर्गत टसर कृमिपालन कोसा। भुगतान एवं हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण। (3) प्राकृतिक कप से उपलब्ध साजा,	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध कराना एवं समय पर भुगतान करना। (2) कृमि पालकों को पालित प्रजाति के टसर खस्थ डिम्ब समूह की प्रदाय योजना के अन्तर्गत टसर कृमिपालन कोसा। भुगतान एवं हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण। (3) प्राकृतिक रूप से उपलब्ध साजा, अर्जुना, सेन्हा धावड़ा सांल, बेल,	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध कराना एवं समय पर भुगतान करना । (2) कृमि पालको को पालित प्रजाति के टसर स्वस्थ डिम्ब समूह की प्रदाय योजना के अन्तर्गत टसर कृमिपालन कोसा। भुगतान एवं हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण । (3) प्राकृतिक कप से उपलब्ध साजा, अर्जुना, सेन्डा, धावड़ा, साल, बेल, महुआ, चार के दृक्षों पर नैसर्गिक	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध कराना एवं समय पर मुगतान करना । (2) कृमि पालकों को पालित प्रजाति के टसर स्वस्थ डिम्ब समूह की प्रदाय योजना के अन्तर्गत टसर कृमिपालन कोसा। भुगतान एवं हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण । (3) प्राकृतिक कप से उपलब्ध साजा, अर्जुना, सेन्डा धावड़ा साल, बेल, महूआ, चार के वृक्षों पर नैसर्गिक रूप से कोसा उत्पादन करने वाले	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध कराना एवं समय पर भुगतान करना । (2) कृमि पालको को पालित प्रजाति के टसर स्वस्थ डिम्ब समूह की प्रदाय योजना के अन्तर्गत टसर कृमिपालन कोसा। भुगतान एवं हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण । (3) प्राकृतिक कप से उपलब्ध साजा, अर्जुना, सेन्डा, धावड़ा, साल, बेल, महुआ, चार के दृक्षों पर नैसर्गिक	Line Hells			
	संचालक रेशम (बीज) धागाकरण	योजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करना । वन क्षेत्रों में हितग्राहियों को टसर कृमि पालन हेतु स्व सहायता डिम्ब समूह को सहायता उपलब्ध कराना एवं समय पर मुगतान करना । (2) कृमि पालकों को पालित प्रजाति के टसर स्वस्थ डिम्ब समूह की प्रदाय योजना के अन्तर्गत टसर कृमिपालन कोसा। भुगतान एवं हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण । (3) प्राकृतिक कप से उपलब्ध साजा, अर्जुना, सेन्डा धावड़ा साल, बेल, महूआ, चार के वृक्षों पर नैसर्गिक रूप से कोसा उत्पादन करने वाले	Line Hells			

1	7	×	7	1
1	1	1	3	1
1			-	e.

	(4) मलबरी (शहतूत) रेशम का उत्पादन हेतु प्रदेश के कृषकों को उनकी निजी भूमि पर पौधरोपण एव रेशम कृमिपालन हेतु योजनाओं के				
A Depart	नाध्यम से आवश्यक सुविधाएँ सहायता उपलब्ध कराना ।				
	(5) अरण्डी रेशम विकास एव विस्तार योजनातर्गत पकों को उनकी निजी भूमि पर पीधनियण एवं ईरी ककून के उत्पादन हेतु सुविधाएं/ सहायता उपलब्ध कराना ।				
	(6) उत्प्रेरण विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना के माध्यम से कृषकों / हितगाहियों को विभागीय सहायता राशि उपलब्ध कराना ।				
छ०ग० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (मुख्यालय)	परिवार मूलक / मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत अनुदान प्रदाय करना— 1. हित्तग्राहियों से आवेदन प्राप्त करना । ग्राम पंचायत की अनुशंसा करवाना । ग्राप्त आवेदन पत्रों की	15 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	प्रबंध संचालक
	करी की पूर्ति कराना ।  2. जिला रोजगार उपसमिति द्वारा ऋण आवेदन पत्रों में अनुशंसा/अनुमोदन पश्चात् बैंकों को प्रेषित करना तथा बैंकों द्वारा ऋण प्रकरण स्वीकृति उपरांत अनुदान राशि बैंकों को प्रेषित कराना ।	30 कार्य दिवस			
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय (जिला पंचायत कार्यालय)	परिवार मूलक / मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत अनुदान प्रदाय करना— 1. हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करना । ग्राम पंचायत की अनुशंसा करवाना । ग्राप्त आवेदन पत्रों की कमी की पूर्ति कराना ।	15 कार्य दिवस	खप संचालक / प्रबंधक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय	कलेक्टर
	<ol> <li>जिला रोजगार उपसमिति द्वारा ऋण आवेदन पत्रों में अनुशंसा/ अनुमोदन पश्चात् बँकों को प्रेषित करना तथा बँदों द्वारा ऋण प्रकरण स्वीकृति उपरांत अनुदान राशि बँकों को प्रेषित कराना ।</li> </ol>	30 कार्य दिवस		"-	_"_
छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड (मुख्यालय)	छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत हितजहियों से प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही ।	30 कार्य दिवस	प्रबंधक म्रख्यालय, रायपुर	मुख्य महाप्रबंधक मुख्यालय, रायपुर	प्रबंध संचालक मुख्यालय, रायपुर



### प्रपत्र - 1 (नियम 5 देखिये)

## छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अभिस्वीकृति का प्ररूप

	ामिहित अधिकारी के कार्यालय का म एवं पता	
1.	आवेदक का नाम एटां पता	
2.	पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक	
3.	सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है।	
4.	उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है किन्तु आवेदन के साध संलग्न नहीं किये गये हैं।	
5.	लोक सेवा ग्रदाय करने हेतु निश्चित की गाई समय—सीमा के अनुसार अंतिम तारीख	***************************************

स्थान :	w Y	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक :	Y 7 1	नाम एवं पदनाम (मुद्रा साहित)

नोट— आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की रिथति में उपरोक्त बिन्दु-5 में अंतिम तारीख नहीं दी जायेगी।

#### प्रपत्र - 2

## (नियम 16 देखिये)

# नोटिस बोर्ड पर जानकारी प्रदर्शित करने का प्ररूप

पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय ......

स0 क्रo	अधिसूचित लोक सेवा	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज की सूची	सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित समय—सीमा	सक्षम अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अपील प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का पता	अपील के निराकरण हेतु समय—सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
.1	. ,		(4)				
2	-				1	5-2-2	
3				10	-		

1.	पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कक्ष	The state of the s
2.	अपील प्रस्तुत करने के लिए समय—सीमा	सक्षम अधिकारी के विनिश्चय से 30 दिवस के भीतर

नोट- आवेदक कृपया आंतेदन की अभिस्वीकृति अवश्य प्राप्त करें।

## प्रपत्र - 3 (नियम 17 देखिये)

पदाभि	हित आ	घेकारी व	के का	र्यालय	में	संघा	रित	की	जाने	वाली	पंजी	का	प्रक्रप
पद	ामिहित	अधिका	री के	कार्या	लय	का	नाम				*******	******	
		माछ		*******			वर्ष						

स0 क्र <b>0</b>	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये श्यावेदन दिया गया है	आवेदन स्वीकृत/ निरस्त	निश्चित की गई समय-सीमा की अंतिम तारीख	सेवा प्रदाय किए जाने की तारीख	सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				12.00	(A)	3-44-7
		7. Tay	110			
	7.				-	275,100

## प्रपत्र -- 4 (नियम 17 देखिये)

अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में संघारित की जाने वाली पंजी का प्ररूप अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय का नाम

<b>研</b> 0 <b>赤</b> 0	अपीलार्थी का नाम एवं पता	अपील प्रस्तुत करने का दिनांक	उसा सक्षम अधिकारी का पद्माम (कायालिय के नाम सिहित) जिसाके विनश्चन के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है	अपील के निराकरण हेतु निश्चित की गई समय-सीमा की अंतिम तारीख	अपील में पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण
(1)	(2:)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1.00		L. T.L.
					1.134
- [				19	F
32		7, 87	la la		1 20